

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला  
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 422 / 2024

अनवान : -

1. जयदेव } पि० पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी
2. रूघवीर } जिला हनुमानगढ़
5. गीतादेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी डूंगरराम जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
6. जसवंती पुत्री पुरखाराम पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
5. पारीदेवी पुत्री पुरखाराम पत्नी रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम्

- 1 तहसीलदार राजस्व, टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री करनैलसिंह

वादीगण


श्री महावीर वर्मा

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 16/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 5 एनडीआर के खाता सं० 16/17 में वादीगण सं० 1 का दर्ज नाम जगदेव के स्थान पर जयदेव, वादी सं० 2 रूघवीर के स्थान पर रूघवीर वादीया सं० 3 गीता के स्थान पर गीतादेवी वादीया सं० 4 जसो के स्थान पर जसवंती व वादीया सं० 5 पारो के स्थान पर पारी देवी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी।